Ph. & Fax : 01364-233207 email :cdrudraprayag@gmail.com,

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 4232 / वनभूमि / 141 दिनांक 22-9-2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषय: नगरासू पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.1874 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
PROPOSAL No.- FP/UK/WATER/157192/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 769/12–1(2) दिनांक 05.09.2022 के सन्दर्भ में आप द्वारा अवगत कराई गई कमियों का निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	कमियां	आख्या
1	प्रस्ताव में संलग्न संशोधित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्रोत से गांव तक लगभग 50 एम0एम0 व्यास की लगभग 1100 मी0 लम्बी पेयजल लाइन वन भूमि में बिछाई जानी प्रस्तावित है, जिसमें 4208 मी0 लाइन वन भूमि में बिछाई जानी है तथा अंकित सारणी में कुल लम्बाई 6208 मीटर अंकित की गई है, जो कि बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। उक्त विवरण को संशोधित किया जाय तथा वास्तविक लम्बाई के अनुसार प्रपत्र संलग्न किया जाय।	टंकण त्रुटिवश पाइप लाइन की कुल लम्बाई 1100 मी0 अंकित थी। जिसे संशोधन उपरान्त 11.00 किमी0 कर दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 02 में उल्लेख किया गया है कि योजना हेतु सर्वेक्षण के दौरान वैकल्पिक संरेखणों पर विचार किया गया, परन्तु वैकल्पिक संरेखण तकनीकि कारणों से उपयुक्त नहीं पाये गये, सर्वथा उपयुक्त पाये गये संरेखण के अनुसार सुयुक्त निरीक्षण कराया गया है, किन्तु संलग्न डिजिटल/टोपोशीट मानचित्रों (प्रपत्र–6 व 7) पर वैकल्पिक संरेखण नहीं दर्शाया गया है तथा तुलनामक विवरण (प्रपत्र–9) में वैकल्पिक संरेखणों की लम्बाई अंकित नहीं की गई है। अतः उक्त मानचित्रों पर वैकल्पिक संरेखण को दर्शाया जाय तथा तुलनात्मक विवरण (प्रपत्र–9) में वैकल्पिक संरेखणों की लम्बाई अंकित की जाय।	योजना सर्वेक्षण के दौरान विकल्पों पर विचार किया गया था। परन्तु तकनीकि कारणों से योजना हेतु चयनित संरेखण उपयुक्त पाए जाने तथा तद्नुसार डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के अनुसार ही उपयुक्त पाए गए संरेखण के अनुसार टोपोशीट व मानचित्र तैयार कर संलग्न किए गए है। अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण तकनीकि कारणोंवश दर्शाया जाना सम्भव नहीं है।
3	बिन्दु सं0 03 में उल्लेख किया गया है कि बारचार्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें कुल लम्बाई एवं प्रभावित किमी0 वन पंचायत/आरक्षित भूमि में सही अंकित नहीं किये गये है। अतः बारचार्ट में परियोजना की सम्पूर्ण लम्बाई अलग–अलग दर्शाते हुये संशोधित बारचार्ट संलग्न करें।	बारचार्ट में संशोधन कर दिया गया है एवं परियोजना के संरेखण अनुसार दूरी व क्षेत्रफल अंकित कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 05 में अंकित किया गया है कि योजना में प्रयुक्त होने वाली पाइप लाइन से कोई भी मलबा या भूमि प्रभावित नहीं होती है। अतः भू–वैज्ञानिक की आख्या लागू नहीं होती है। जबकि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–8 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान विकल्प तकनीकि दृष्टि से एक ही विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। अतः सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों की भिन्नता को दूर करें।	प्रपत्र –26 में आपत्ति का प्रत्युत्तर भू वैज्ञानिक आख्या लागू न होना दिया गया है। एंव प्रपत्र–8 बैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किए जाने से सम्बन्धित है। अतः दोनो प्रपत्रों में आपस में कोई समरूपता नहीं है। एवं दोनो ही भिन्न है।
5	बिन्दु सं0 08 में उल्लेख किया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण के 4208 मी0 लम्बाई एवं क्षेत्रफल 0.1274 है0 का ही होना है अन्य लम्बाई निजी भूमि एवं सड़क की भूमि होने से हस्तान्तरण नहीं किया जाना है। के0एम0एल0 फाइल में सड़क भी दर्शित है, जबकि सम्पूर्ण भूमि में प्रभावित लाइन की कुल लम्बाई एवं कुल प्रभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में संलग्न सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों में तथा परिवेश पोर्टल में अंकित किया जायेगा। अतः सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों में तथा परिवेश पोर्टल में प्रभावित क्षेत्रफल एवं कुल लम्बाई को एक समान किया जाय।	के0एम0एल0 फाईल में संशोधन कर दिया गया है।

भवदीय

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

AE Sir Letter Pad

"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।